न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—417/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/417)

1. कैलाशचंद पुत्र मोहरीलाल, जाति बलाई, निवासी कुम्हारों का मौहल्ला लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

अपीलांट

बनाम

1. मैसर्स डी0एम00ग्रेनाईट जरिए पार्टनरः—
   (1) मोहनलाल पुत्र भैरूलाल बैरवा निवासी टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर।
   (2) रामकुमार पुत्र मूलचंद बलाई निवासी पारा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी तहसील केकडी।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 व संशोधित आदेश दिनांक 30.07.2025 राजस्व वाद संख्या 26/2024 (2024/310)

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरीश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या (1), (2)
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः— 30.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2024 (2024/310) में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 व संशोधित आदेश दिनांक 30.07.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2024

(2024/310) में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 व संशोधित आदेश दिनांक 30.07.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलांट के खसरा नम्बर में से अपने खेतों पर बैलगाडी व मवेशी ले जाना बताया है जबकि रेस्पोडेन्ट गांव बघेरा के स्थायी निवासी नहीं होकर टाकावास के स्थायी निवासी हैं जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपना निवास ग्राम टांकावास अंकित कर रहे हैं, ग्राम बघेरा से टांकावास की दूरी काफी है रेस्पोडेन्ट के पास किसी प्रकार की बैलगाडी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कृषक नहीं होकर भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं। जिन्होंने भूमि माईनिंग के लिए क्रय की है तथा रेस्पोडेन्ट्स ने माईनिंग की लीज के लिए माईनिंग ऑफिस में फाईल प्रस्तुत कर रखी है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मनगढन्त, झूठे व असत्य कथनों पर अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया था। तथ्य छिपाकर पेश प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सूचना बाबत किसी प्रकार से साधारण नोटिस पेश नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों व अधीनस्थ न्यायालय से मिलाभगती कर सीधे ही रजिस्टर्ड ए.डी. से अविधिक तामील करवायी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अविधिक तामीली को तामील मानकर अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए अविधिक आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की चरण संख्या 5 में किये गये कथन गलत प्रस्तुत किये हैं क्योंकि उक्त पैरा में दिनांक अंकित नहीं की है व पैरा संख्या 8 में भी वाद कारण की दिनांक अंकित नहीं की है व प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 से 9 में कितना फिट चौडा व कितना फिट लम्बा व अपीलांट के खसरा नम्बर की किस दिशा में से रास्ता चाहा है अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खेती बाडी का काम नहीं करते हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं जो अपने खरीदशुदा माईनिंग के खेतों पर आवागमन नहीं करते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मनगढन्त व झूठे कथनों के आधार पर अपीलांट को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खरीदशुदा भूमि में माईनिंग लीज कराने के उद्देश्य से 30 फीट रास्ते के बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी, केकडी व तहसील में कार्यरत कर्मचारियों से मिलाभगती कर अपीलांट की अविधिक तामील करवाई गयी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों व विधिक स्थिति को नजर अन्दाज कर अपीलांट की पीठ पीछे अविधिक आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र की अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलांट को न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नोटिस मिला व न ही मौका रिपोर्ट का नोटिस मिला फिर भी तहसीलदार ने अपने जवाब के क्रम संख्या 11 में अपीलांट की भूमि के बदले भूमि की

मांग के कॉलम में "हाँ" अंकित करते, हुए अविधिक रूप से जवाब पेश किया था यदि अपीलांट को मौका रिपोर्ट बाबत नोटिस नहीं दिया था। उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना मौके पर आये कार्यालय में रेस्पोडेन्ट के कहे अनुसार रेस्पोडेन्ट से मिलाभगती कर मौका रिपोर्ट व जवाब तैयार करवा कर पेश करवाये गये थे। उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट व तहसीलदार के जवाब को आधार बनाकर उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अवांछित लाभप्रदान करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। मौका रिपोर्ट बाबत् अपीलांट को तहसील कार्यालय व भू–अभिलेख निरीक्षक बघेरा से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ व न ही जारी हुआ क्योंकि मौका रिपोर्ट के साथ जो भू–अभिलेख निरीक्षक बघेरा द्वारा जारी नोटिस लगा है उक्त नोटिस का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त नोटिस अपीलांट को जारी नहीं किया गया क्योंकि उक्त नोटिस में प्रार्थी व अप्रार्थी सभी के नाम एक ही नोटिस में अंकित किया है जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अलग–अलग गांव, तहसील व जिले में है। उक्त मौका रिपोर्ट नोटिस भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ क्योंकि उक्त नोटिस पर जारी के क्रमांक ही अंकित नहीं हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक बघेरा ने उक्त नोटिस रेस्पोडेन्ट से मिलाभगती कर तैयार कर नोटिस जारी किये बिना नोटिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कार्यालय में ही हस्ताक्षर करवा कर अपीलांट को नोटिस जारी नहीं कर अपीलांट की तामील व अदम तामील बाबत नोटिस पर कुछ भी नहीं लिखकर मौका रिपोर्ट बाबत जारी नोटिस की अविधिक प्रक्रिया अपना कर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका पर आये बिना मौका रिपोर्ट कार्यालय में बैठे बैठे बनाकर तहसीलदार केकडी को प्रेषित की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 पर गांव के उपस्थित अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाना बताकर जिन स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं वे ग्राम बघेरा के निवासी नहीं होकर रेस्पोडेन्ट के मिलने वाले ग्राम सांवर तहसील सांवर व केकडी के निवासी हैं। इस प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक ने बिना मौके पर आये बिना अपीलांट को मौका रिपोर्ट का नोटिस जारी किये धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कानूनी व विधिक प्रक्रिया की अवहेलना कारित करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 से मिलाभगती कर कार्यालय में बैठे बैठे ही अविधिक मौका रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार केकडी के समक्ष पेश की। उक्त रिपोर्ट को तहसीलदार केकडी ने जवाब के साथ अधीनस्थ न्यायालय में पेश की अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 को आधार बनाकर अविधिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। भू–अभिलेख निरीक्षक बघेरा महेन्द्र सिंह राठौड द्वारा अपीलांट को मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया था न ही मौके पर आकर विधिक रिपोर्ट बनाई क्योंकि भू–अभिलेख निरीक्षक बघेरा द्वारा दिनांक 13.11.2024 को जो धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है उक्त रिपोर्ट में केवल खसरा नम्बर 4610, 1603/5159, 4611, 4613, 1461 पर पटवारी हल्का के साथ मौके पर आना बताया है। ऐसी स्थिति में यदि भू–अभिलेख निरीक्षक अपीलांट के खसरा नम्बर 6560/4609 पर मौके पर आये ही नहीं तो अपीलांट के खसरा नम्बर बाबत बनाई गई मौका रिपोर्ट में लम्बाई–चौडाई किस आधार पर अंकित की जबकि किसी खसरा नम्बर में से रास्ता दिये जाने

बाबत मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थित कर्मचारियों की मौजूदगी में जरीब चलाकर रास्ते की लम्बाई, चौडाई का नाप किया जाता है जो उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 में नहीं किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपीलांट के खेतों पर आये बिना, बिना मौका देखे कार्यालय में बैठे बैठे ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलाभगती कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कहे अनुसार अविधिक मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार केकड़ी को भेजी तहसीलदार ने उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट की जांच किये बिना उक्त मौका रिपोर्ट को उपखण्ड अधिकारी, केकडी को प्रेषित कर दी। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 10.7.2025 को मौका रिपोर्ट पर उभय पक्ष की बहस सुनना अंकित कर अविधिक रूप से धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बिना बहस सुने कानूनी व विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अविधिक मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। रेस्पोडेन्ट्स ने वादग्रस्त आराजीयात खरीद कर उक्त वादग्रस्त आराजी खनन कार्य हेतु लीज करवाने के लिए खनन विभाग में पत्रावली नियमन के लिए पेश कर रखी है। उक्त पत्रावली में किसी प्रकार की रास्ते बाबत् आपत्ति नहीं आ सके इसलिए रेस्पोडेन्ट्स ने वादग्रस्त आराजी पर उक्त तथ्यों को छुपाते हुए अपने आपको वादग्रस्त आराजी पर खेती बाडी करना, बैलगाडी लाने ले जाने का गलत कथन अंकित करते हुए 30 फीट रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर तामीली प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने सीधे ही अपीलांट की तामील बाबत् रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करना बताते हुए अपीलांट की एक्स पार्टी की है, जबकि कानूनी रूप से तामीली प्रक्रिया के तहत पहले साधारण नोटिस जारी होंगे, फिर चस्पांदगी, रजिस्टर्ड ए.डी., फिर अखबार साया से तामीली करवाने के प्रावधान हैं। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने तामील प्रावधानों की घोर अवहेलना करते हुए सीधे ही अपीलांट की रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील मानकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं कानूनी न्याय की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2024 (2024/310) में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 व संशोधित आदेश दिनांक 30.07.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी के खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 6559/4609 जो ग्राम बघेरा में स्थित है जिस पर आने जाने हेतु आम रास्ता खसरा संख्या 6560/4609, 4642, 4638 रकबा 0.64, 1.78, 1.16 में से आने जाने हेतु रास्ता उपयोग में ले रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने का रास्ता आराजी खसरा संख्या 4642 व 4638 में वर्तमान में मौके पर स्थित बघेरा से सलारी जाने वाले रास्ते में से होकर आराजी खसरास संख्या 6560/4609 से होता हुआ संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर जाता है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का एक मात्र रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेत पर जाने हेतु बैल गाडी, कृषि

ऊपज लाते ले जाते है। वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को आराजी खसरा संख्या 4642 व 4638 में वर्तमान में मौके पर स्थित बघेरा से सलारी जाने वाले रास्तों में से होकर आराजी खसरा संख्या 6560/4809 से होता संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध कराया जावे जिस हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 को आदेश दिया जावे कि वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु 30 फीट चौडे आम रास्ते को राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज कर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। उक्त 30 फीट चौडे आम रास्ते हेतु खर्चा प्रार्थीगण अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.07.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित कर संशोधित आदेश दिनांक 30.07.2025 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा स्वयं की आराजीयात ग्राम बघेरा तहसील केकडी के खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 6559/4609 जो ग्राम बघेरा में स्थित है जिस पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 6560/4609, 4642, 4638 में से 30 फीट चौडे रास्ते हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी की तामील सीधे ही जरिए रजिस्टर्ड एडी किए जाने के आदेश पारित किए गए। जबकि विधिनुसार सर्वप्रथम तामील जरिए साधाराण नोटिस, तत्पश्चात जरिए रजिस्टर्ड एडी व अंत में जरिए अखबार साया किए जाने का प्रावधान है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तामीली की विधिवत प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट खसरा नम्बर 6560/4609 के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है जिससे वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित रहे हैं।

मौका रिपोर्ट बाबत अपीलांट/अप्रार्थी को तहसीलदार कार्यालय से किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा तहसील केकडी द्वारा मौका रिपोर्ट बाबत जारी किए गए नोटिस में सभी पक्षकारों के नाम अंकित है। जबकि सभी पक्षकार अलग अलग पते पर निवास करते है व उक्त नोटिस में कहीं पर भी तामील अथवा अदम तामील की कोई रिपोर्ट नहीं है।

भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट बनाते समय नियम 69 की पालना नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित मौका रिपोर्ट की बिंदु संख्या 11 में अप्रार्थी द्वारा रास्ते में दी

जाने वाली खातेदारी भूमि के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से भूमि की मांग की गई है, इस बाबत कॉलम में हां का उल्लेख किया गया है, जबकि अप्रार्थी प्रकरण में अनुपस्थित थे व ना ही उनके द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया तो किस आधार पर तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी की सहमति व्यक्त की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर खसरा संख्या 4642, 4638, 6560/4609 में से बिना किसी स्पष्ट विवेचन के 30 फीट चौडे रास्ते बाबत आदेश पारित किए गए।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2024 (2024/310) में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 व संशोधित आदेश दिनांक 30.07.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में **नोटिस तामील** की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर मौका रिपोर्ट हेतु नोटिस जारी कर उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट **नियम 69** की पालना करते हुए तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण में **30 फीट** चौडे रास्ते की आवश्यकता है या नहीं उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर प्रकरण में पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर